राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

वाद संख्या–37/2023

अनुज कुमार बनाम् सत्येन्द्र कुमार उर्फ सत्येन्द्र शर्मा।

इस वाद की सुनवाई दिनांक–20.06.2023, दिनांक–27.07.2023, दिनांक–23.11.2023, दिनांक–04.01.2024, दिनांक–29.04.2024, दिनांक–13.06.2024 तथा दिनांक–17.10.2024 को हुई। वादी की तरफ से विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत चौबे तथा प्रतिवादी की तरफ से श्री अविनाश कुमार सिंह द्वारा पक्ष रखा गया। जिला प्रशासन की तरफ से श्री धनंजय त्रिपाठी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जहानाबाद सत्यापन–सह–जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि दिनांक–25.01.2023 को उनके मुवक्किल के विरूद्ध Arrest Warrant निर्गत हुआ था। गिरफ्तारी नहीं होने कारण Cr.P.C. की धारा–82 के तहत उन्हें न्यायालय द्वारा दिनांक–23.02.2023 को भगोड़ा घोषित किया गया, परन्तु दिनांक–20.04.2023 को उन्होंने आत्म–समर्पन कर दिया। फलतः दिनांक–24.04.2023 से दिनांक–15.07.2023 तक वे कारागार में निरूद्ध रहें। इस प्रकार Absconder घोषित किए जाने(दिनांक–23.02.2023 से दिनांक–24.04.2023) के मात्र 02 माह के अन्दर ही गिरफ्तारी के कारण उनपर फरार होने से संबंधित अयोग्यता के नियम लागू नहीं होते।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि यह तथ्य प्रकट हो चुका है कि प्रतिवादी के विरूद्ध Arrest Warrant निर्गत होने तथा उन्हें Absconder घोषित किए जाने 06 माह से पूर्व ही उनके द्वारा Surrender कर दिया गया था। अतः उनके ऊपर अयोग्यता संबंधित कोई मामला उनके दावें के अनुसार नहीं बनता। अतः प्रतिवादी के Surrender कर देने के कारण उनके दावें का आधार समाप्त हो चुका है। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जा सकती है।

प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा आयोग को बताया गया कि बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–44(4) के तहत 03 लगातार बैठकों में बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने के कारण प्रमुख/उप प्रमुख को पद से हटाए जाने का प्रावधान है।

आयोग द्वारा दोनों विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों एवं "रेकर्ड" पर उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण किया गया, तो यह पाया गया कि मामला बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–135 एवं धारा–136 में वर्णित पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों के योग्यता/अयोग्यता से संबंधित नहीं है। अतः यह वाद आयोग में Maintainable नहीं है। अतः वादी के सभी दावों को खारिज करते हुये, वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा यह तथ्य उजागर किया गया है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–44(4) के तहत लगातार तीन बैठकों में बिना किसी सूचना के

अनुपस्थित रहने पर प्रमुख/उप प्रमुख को हटाया जा सकता है, परन्तु उक्त धारा के तहत कार्रवाई की शक्ति लोक प्रहरी में निहित है। अतः वादी एवं जिला प्रशासन को यह स्वतंत्रता प्राप्त है कि यदि उनका दावा साक्ष्यों से प्रमाणित है, **तो प्रतिवादी के पदमुक्ति हेतु लोक प्रहरी–सह–प्रमण्डलीय आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया के समक्ष वाद लाने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, जहानाबाद स्वतंत्र है।**

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
25.10.2024
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
25.10.2024
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–37/2023 3934 पटना, दिनांक– 25.10.24

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, **जहानाबाद**/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **जहानाबाद** को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **जहानाबाद** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। /–

25/10/24
विशेष कार्य पदाधिकारी